विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित है: प्रथम अध्याय में राज्य की वित्तीय स्थिति, योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन शामिल है। इस प्रतिवेदन के अध्याय दो में दो निष्पादन लेखापरीक्षा (i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान एवं (ii) झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलाप/सूत्रपात पर समीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है तथा अध्याय तीन में विभिन्न विभागों के चार अनुपालन लेखापरीक्षा (i) गोदाम का निर्माण एवं क्रियाशीलता (ii) धान की अधिप्राप्ति और कस्टम मिल्ड चावल में रूपांतरण (iii) सुरक्षा संबंधित व्यय (iv) मेसो क्षेत्रों में जन जाति कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा एवं 18 लेखापरीक्षा कंडिका से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों; राज्य को अवसर का नुकसान, निष्फल व्यय एवं हानि का मौद्रिक मूल्य ₹ 1,60,516 करोड़ है।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग हेतु विहित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन सांख्यिकीय नमूना प्रणाली के साथ-साथ जोखिम आधारित विवेकपूर्ण नमूना के आधार पर किया गया है। प्रत्येक निष्पादन लेखापरीक्षा में अंगीकृत विशेष लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख किया गया है। सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं और अनुशंसाएँ की गई है। लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों का सार इस विहंगावलोकन में प्रस्तुत किया गया है।

1. कार्यक्रमों/कार्यकलापों/विभागों का निष्पादन लेखापरीक्षा

(i) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने हेतु सर्व सुलभ, उत्तर दायी, किफायती तथा भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में की गई। प्रजनन एवं बाल विकास पर विशेष ध्यान देते हुये रा.ग्रा.स्वा.मि. पर वर्ष 2011-16 की अवधि का निष्पादन लेखापरीक्षा किया गया। कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है।

रा.ग्रा.स्वा.मि. दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने हेतु लोक स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में यथोष्ट बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में राज्य निराशाजनक रूप से विफल साबित हुआ। राज्य में आवश्यकता तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सा.स्वा.के.) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.) तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र (स्वा.उप.) के बीच का अन्तर वर्ष 2011 में 45, 76 एवं 55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016 में क्रमश: 51, 79 एवं 60 हो गयी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से

वंचित क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण को न करते हुए रा.ग्रा.स्वा.मि. तथा राज्य द्वारा हस्तक्षेप केवल वर्तमान सुविधाओं के उत्क्रमण तक ही सीमित था।

खर्च में कमी वर्ष 2011-15 में क्रमशः 55 और 61 प्रतिशत था जिसके चलते क्षमता निर्माण एवं सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यकता से कम हुई। विशेषज्ञ चिकित्सकों में कमी (92 से 78 प्रतिशत), चिकित्सा पदाधिकारियों में कमी (61 से 36 प्रतिशत), स्टाफ नर्स/सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी में कमी (27 से 26 प्रतिशत) तथा चिकित्सा सहायक में कमी (52 से 40 प्रतिशत) से अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पडा जबकि महत्वपूर्ण आवश्यक उपकरणों की कमी (42 से 92 प्रतिशत), औषधी की कमी (32 से 92 प्रतिशत), तथा बिस्तर गणना (47 से 90 प्रतिशत) की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं पर प्रभाव पड़ा।

स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में प्रर्याप्त सुधार के अभाव में शिशु एवं मातृ मृत्यूदर (आई.एम.आर. 37/1000, एम.एम.आर. 208/1,00,000) एन.आर.एच.एम. के लक्ष्य (आई.एम.आर. 25/1000 और एम.एम.आर. 100/100000) और सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (आई.एम.आर. 26/1000, एम.एम.आर. 100/100000) से काफी पीछे था। नमूना-जाँचित जिलों में राज्य क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट का कार्यान्वयन नहीं किया गया जबकि जिला गुणवत्ता सुनिश्चितता इकाई का गठन ही नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1)

(ii) झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन क्रियाकलाप/पहल पर निष्पादन लेखापरीक्षा

झारखण्ड को निवेशकों का सबसे अनुकूल स्थान बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक प्रकियाओं के सरलीकरण निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विविध प्रकियाओं में सुधार इत्यादि हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति (झा.औ.नी.) 2012 की घोषणा जून 2012 में की गई। झारखण्ड में निवेश प्रोत्साहन गतिविधि/ पहल पर निष्पादन लेखापरीक्षा 2011-16 की अवधि के लिए संचालित किया गया। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ की चर्चा नीचे की गई है:

झारखण्ड में व्यवसाय कार्य सुभीता (इज ऑफ डूईंग बिजनेस) व्यवसाय स्थापित करने, भूमि आवंटन, अबाधित बिजली आपूर्ति, पानी एवं कच्चे माल इत्यादि क्षेत्र में कई बाधाओं से प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप, पूर्ववर्ती नीति अवधि (2000-11) में ₹ 28,424 करोड़ की तुलना में झा.औ.नी. 2012 की अवधि (2011-2016) में निवेश ₹ 4,493 करोड़ तक घट गया। निवेश अनियमित था और 24 जिलों में से आठ जिलों में ज्यादा था इसके बावजूद कि अन्य जिलों में निवेश की समान संभावनाएँ थी। आगे, 48 प्रतिशत (79 में से 38) समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा) भूमि अधिग्रहण में विफलता एवं उद्योग स्थापित करने में सरकार के सहयोग में कमी के कारण रद्द हो गये। परिणामस्वरूप राज्य ₹ 62,879 करोड़ के निवेश से वंचित रह गया। पाँच स्टील प्लांट सह कैप्टिव पावर प्लांट की प्रस्तावित स्थापना उसके प्रस्ताव प्राप्त होने के 10

वर्षों में भी स्थापित करने में विफलता के कारण राज्य ₹ 1.60 लाख करोड़ के निवेश का मौका चूक गया।

एकल खिड़की प्रणाली (ए.खि.प्र.) संभावित निवेशकों को 'एक स्थान पर' सेवा प्रदान करने हेतु आंशिक रूप से कार्यरत था जो अप्रभावी था एवं विभागों/ अभिकरणों की आवश्यक मंजूरी से संबंधित निवेशकों के मामलों को निपटाने में असमर्थ रहा। परिणामत: समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के चार से 13 वर्षों की अवधि में भी परियोजनाओं के बाधाओं को दूर करने में ए.खि.प्र. विफल रहा और ये परियोजनाएँ स्थापित नहीं की जा सकी।

राज्य में ऑटोमोबाईल एवं ऑटो कम्पनियों के लिए विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र स्वीकृत होने के वाबजूद विलंबित कार्रवाई के कारण स्थापित नहीं किये जा सके। यह राज्य में ऑटोमोबाईल क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने में बाधक बना।

झा.औ.नी. 2012 का कार्यान्वयन की समीक्षा/ अनुश्रवण नहीं किया जा सका क्योंकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली प्रस्तावित समिति का गठन नहीं हुआ था।

(कंडिका 2.2)

2. अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) गोदामों के निर्माण एवं कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा

लक्षित लोक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (रा.खा.सु.अ.) के तहत चिन्हित लाभुकों को वितरण हेतु आवंटित अनुदानित अनाज, चीनी, परिष्कृत आयोडीन नमक के मासिक आवंटन से दुगुना गोदाम क्षमता को बढ़ाने हेतु गोदामों के निर्माण को झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया (अगस्त 2009)।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-16 के दौरान 2.47 लाख मीट्रिक टन के विरूद्ध केवल 1.90 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षेत्र निर्माण हेतु योजना तैयार की गई एवं 0.96 लाख मीट्रिक टन का भंडारण क्षेत्र का निर्माण किया। इस प्रकार 0.57 लाख मीट्रिक टन की कम भंडारण क्षेत्र योजना तैयार की गई जबकि वास्तविक भंडारण क्षेत्र आवश्यकता से 1.51 लाख मीट्रिक टन कम थी। आगे, उपलब्ध भंडारण क्षेत्र असंतुलित पाया गया क्योंकि 55 प्रखण्डों में भंडारण क्षेत्र नहीं था, 156 प्रखंडों में अनाज के मासिक आवंटन से कम भंडारण क्षमता था, 17 प्रखण्डों में अनाज के मासिक आवंटन से दुगुनी क्षमता थी जबकि 31 प्रखण्डों में भंडारण क्षमता मासिक आवंटन से अधिक परंतु मानदंड से कम था। यद्यपि निर्मित अधिक भंडारण क्षेत्र के लाभप्रद रूप से उपयोग या 1.51 लाख मीट्रिक टन की समग्र भंडारण क्षमता के कमी से निपटने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी कोई योजना तैयार नहीं की गई थी।

स्वीकृत गोदामों के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि 420 स्वीकृत गोदामें में केवल 317 का निर्माण किया गया। इनमें से 46 गोदाम का निर्माण कार्य

पूर्ण हो चुका था परंतु विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया था जबकि 36 गोदाम पूर्ण होने के बावजूद पहुँच पथ के अभाव, क्षतिग्रस्त छत/दीवार आदि के कारण संचालन में नहीं था। 33 गोदामों का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका था क्योंकि निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था। नमूना-जाँचित जिलों में ₹ 2.50 करोड़ की लागत से निर्मित 23 गोदामों का क्षतिग्रस्त छत/दीवार, पहुँच पथ का अभाव आदि जैसे कारणों के कारण विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा था।

राज्य द्वारा वर्ष 2011-16 में भारतीय खाद्य निगम से आवंटन के विरूद्ध 21.23 लाख मीट्रिक टन कम उठाव हुआ था। जिसमें से 1.44 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का कम उठाव रा.खा.सु.अ. के अधीन अक्टूबर 2015 से मार्च 2016 तक था। परिणामस्वरूप अभिप्रेत लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अधिदेश में बाधा उत्पन्न हुई। गोदामों में, गोदाम मार्गदर्शिका में प्रस्तावित स्वच्छता मानदंड के अनुरूप खाद्यान्न का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

(कंडिका 3.1)

(ii) धान खरीद तथा कस्टम मिल्ड राईस रूपांतरण पर लेखापरीक्षा

झारखण्ड सरकार ने खरीफ विपणन मौसम (ख.वि.मौ.) 2011-12 से किसान से धान की सीधे अधिप्राप्ति तथा रूपांतरण कर कस्टम मिल्ड राईस भारतीय खाद्य निगम को देने हेतु एक कार्यक्रम लागू किया (2011)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-15 के दौरान पूरे राज्य में चार लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा ₹ 524 करोड़ के निधि सुनिश्चित नहीं करने के कारण धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम विफल रहा जो कि वर्ष 2011-13 में कैश क्रेडिट ऋण लेने में विफलता और उसके देनदारों से ₹ 178.96 करोड़ की वसूली लंबित रहने का परिणाम था। आगे, ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान कार्यक्रम में बिचौलियों की मौजूदगी से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक जिले के किसानों से वैध भूमि रसीद लिए बिना एवं चार जिलों में धान उत्पादन से अधिक का ₹ 59.66 करोड़ की धान अधिप्राप्ति की गई। ख.वि.मौ. 2011-13 के दौरान 2445 किसानों को ₹ 11.37 करोड़ का विलंबित भुगतान एवं वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 99.41 करोड़ के भुगतान में विफलता, किसानों द्वारा मजबूरी में धान ब्रिकी को रोकने के उद्देश्य में बाधक रहा। मिलिंग नीति तय नहीं की गयी थी और विभाग द्वारा इसके क्रियाकलापों के विश्वसनीय एवं समेकित सूचना उत्पन्न तथा प्रसार करने के लिए कोई प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना नहीं की गई थी।

(कंडिका 3.2)

(iii) सुरक्षा संबंधित व्यय की लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने (अप्रैल 1996) में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार के वित्तीय बोझ को कम करने में सहयोग के उद्देश्य से, सुरक्षा संबंधित व्यय योजना का प्रारम्भ किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सुरक्षा संबंधित व्यय योजना राज्य में सही ढ़ंग से लागु नहीं की गई क्योंकि विभाग ने आवश्यकतानुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया था जिसके फलस्वरूप अनुमोदित योजना के तुलना में कुल ₹ 247.55 करोड़ अंतर्घटकीय विचलन किया गया। विभाग को सुरक्षा व्यय संबंधित दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण दावा की गई राशि ₹ 154.92 करोड़ की प्रतिपूर्ति नहीं हुई जबकि पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण पर ₹ 5.55 करोड़ व्यय का दावा नहीं किया गया एवं गोला-बारूद क्रय से संबंधित ₹ 5.84 करोड़ का गृह मंत्रालय से प्रतिपूर्ति दावा नहीं किया गया जो कि सुरक्षा संबंधित व्यय योजना के तहत अनुमान्य था। यद्यपि, विभाग द्वारा किराये पर वाहन लेने (₹ 52.68 करोड़) तथा विशेष पुलिस पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान (₹ 27.71 करोड़) पर कुल ₹ 80.39 करोड़ व्यय किया गया जिसे गृह मंत्रालय द्वारा अनुमान्य किया गया था, लेखापरीक्षा ने इन व्यय को सुरक्षा संबंधित व्यय के दिशानिर्देश का उल्लंघन माना। निगरानी का अभाव था जिसके चलते अमान्य मदों पर सतत व्यय होता रहा जिससे योजना उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 3.3)

(iv) मेसो क्षेत्रों में जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

मेसो क्षेत्रों में जनजाति कल्याण कार्यक्रमों पर वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि को आच्छादित करते हुए एक लेखा परीक्षा की गई जिसे 31 मार्च 2012 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) में सम्मिलित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने के लिए स्वीकार कर लिया गया था। वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि को आच्छादित करते हुए एक अनुवर्ती लेखा परीक्षा यह निर्धारित करने के लिए किया गया कि क्या कल्याण विभाग ने स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया एवं सुधारात्मक उपायों द्वारा त्रुटियों को दूर किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चूँकि किसी भी संबद्ध जनजातीय विकास अभिकरण ने जनजातीय जनसंख्या या गावों का सामाजिक आर्थिक डाटाबेस तैयार नहीं किया था ना ही निधि के ससमय उपयोग को सुनिश्चित किया, न ही ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जैसा कि जनजातीय उप योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्राप्त अनुदान के सतत बचत से परिलक्षित होता है। आगे, जनजाति योजना अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन

127 योजनाओं में से 39 तथा संविधान की अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत नमूना-जाँचित समेकित जनजाति विकास अभिकरण में 31 प्रतिशत पद रिक्त रहने के अलावे 268 कार्यों में से 211 को पूर्ण करने में विफल रहे तथा अनुश्रवण नहीं होना अनुशंसाओं के कार्यान्वित नहीं होने के सूचक है।

(कंडिका 3.4)

(v) अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका

लेखापरीक्षा ने विवेचित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों को पाया, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों (18 कंडिकाओं) को प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख टिप्पणियाँ नियमों एवं विनियमों के गैर-अनुपालन, औचित्य के विरूद्ध लेखापरीक्षा तथा अपर्याप्त तर्कसंगत व्यय के मामले एवं दृष्टिचूक/शासन की विफलता से संबंधित है। कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- कृषि महाविधालय प्रारंभ करने में विफल होने के कारण कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधीन ₹ 18.21 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.1)

- भवन एवं सड़क निर्माण विभाग के अधीन खनन नियम का अनुपालन नहीं होने के कारण ₹ 9.68 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 3.5.2)

- शासकीय आदेशों के उल्लंघन करते हुए सड़क निर्माण कार्य के पूर्णता के लिए अत्यधिक समय की स्वीकृति के परिणामस्वरूप सड़क निर्माण विभाग के अधीन ₹ 2.52 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.3)

- सड़क निर्माण विभाग के अधीन अपूर्ण पुल पर ₹ 1.18 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.4)

- कल्याण विभाग के अधीन त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के कारण महिला पॉलिटेकनिक, राँची के निर्माण पर ₹ 8.00 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.5)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के कारण काम का परित्याग एवं ₹ 5.6 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.6)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पहुँच पथ निर्माण के बिना पुल निर्माण करने के कारण ₹ 4.31 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.7)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क कार्य के अनियमित उन्नयन के कारण ₹ 3.87 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.8)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना पुल के निर्माण करने के कारण कार्य को बीच में रोकना पड़ा तथा ₹ 1.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.9)

- ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संवेदक को अनियमित आवंटन एवं अनुचित लाभ पहुँचाए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.10)

- ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के कारण बिना पुल का सड़क निर्माण करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.11)

- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग के अधीन राँची न्यूरो मनोरोग एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) में शिक्षण हेतू भवन समूह के व्यर्थ पड़े रहने पर ₹ 4.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.12)

- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग के अधीन व्यर्थ पड़े रहे ए.एन.एम. विद्यालय भवन के निर्माण पर ₹ 2.09 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.13)

- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग के अधीन ₹ 1.15 करोड़ की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सका।

(कंडिका 3.5.14)

- भवन निर्माण विभाग के अधीन 300 कैदियों हेतु वर्ष 2011-12 में चक्रधरपुर में अपूर्ण उप-कारा (गैस-आवासीय क्षेत्र) के निर्माण पर ₹ 4.68 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.15)

- खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत ₹ 4.35 करोड़ मूल्य का मोबाईल वैन किट 8 वर्ष तक व्यर्थ पड़े रहने के कारण व्यय निष्फल साबित हुआ।

(कंडिका 3.5.16)

- सूचना एवं जन संपर्क विभाग के अधीन मीडिया हाउस पर स्त्रोत पर कर-कटौती कम किए जाने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 1.12 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.5.17)

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत परित्यक्त जलापूर्ति योजना पर ₹ 2.12 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5.18)